

उन्वाम : वृन्दा राठौर वृन्वाम तहसीलदार रावतभाटा
प्र.सं. 26/2022
धार : 88 RTI

07/11
2024

पत्रावली पैशा दुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई थावपूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में पैरवी हेतु वादी की ओर से उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

